जैवप्रौद्योगिकी पार्क और इन्क्यूबेटर

भारतीय जनसंख्या को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उद्योग बायोजेनेरिक्स, पादपों/हाइब्रिड्स की नई किस्मों और साथ ही नए बायोटेक उत्पादों के विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी में बड़ी रूचि दिखा रहे हैं। भारत में जैवप्रौद्योगिकी उद्योग एक नई प्रकार की प्रौद्योगिकीय क्रांति के नए आयाम पर है। कृषि, मानव और पशु स्वास्थ्य, पर्यावरण, नैदानिकी, प्रतिरक्षा जैविकों, रक्त उत्पादों और एण्टीबायटिक्स, औद्योगिक एन्जाइम्स, विटामिन्स जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान में व्यापारीकरण की बड़ी क्षमता है। 9वीं और 10वीं योजना अवधि के दौरान, जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने देश में बायोविलेज के विकास और पूर्णमहिला बायोटेक पार्क की स्थापना के लिए विभिन्न परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उद्योग को सुग्राही बनाना और साथ ही साथ प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को सबके लाभ के स्तर पर लाना था। इसके परिणामस्वरूप कई राज्य सरकारें अब बायोटेक्नोलॉजी पार्कों/ज्ञान पार्कों, जैवप्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स और प्रायोगिक संयंत्र सुविधाओं की स्थापना करने के लिए विशेषतौर पर प्रस्ताव बना रही हैं।

वर्तमान योजना उन छोटे और मध्यम उद्यमियों और विशेषतौर पर युवा उद्यमियों की सहायता करने के लिए बनाई गई है जो बायोटेक उद्योग में अधिक पूंजी लगाने की स्थिति में नहीं है किंतु बायोटेक इन्क्यूबेटरों और प्रायोगिक स्तर की सुविधाओं का प्रयोग करके नए बायोटेक उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास, डिजाइन और उन्हें ठीक बनाने की क्षमता रखते हैं।

विभाग बायोटेक्नोलॉजी पार्कों, बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटरों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राज्यों और अन्य संगठनों से प्राप्त प्रशिक्षण और प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय/लौजिस्टिकल सहायता प्रदान कर रहा है। यह ज्ञान आधारित बायोटेक उद्योगों में प्रमुख क्षेत्र की पहचान करने के उद्देश्य से बायोटेक पार्कों, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों और पायलट परियोजनाओं की पहचान, कार्यान्वयन और मध्य में त्रुटियाँ ठीक करने के सुझाव दे कर पुनिरीक्षण के तरीके निकालने के लिए आवेदनकर्त्ताओं को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

विभिन्न परियोजनाओं को देखने और उनको सहायता देने के लिए तरीकों का सुझाव देने हेतु विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। बायोटेक पार्कों/इन्क्यूबेटरों की स्थापना करने के लिए अभी तक विभाग को उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल , गुजरात , हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों और साथ ही विभिन्न संस्थानों जैसे यूआईसीटी, मुंबई आदि से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य से लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करने के लिए और शापूरजी पालोंजी बायोटेक पार्क, जीनोम घाटी, हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर (बीटीआईसी) की स्थापना करने के लिए प्रस्तावों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वित्तपोषण के लिए चार और प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन हैं।

9.1 लखनऊ में बायोटेक पार्क

बायोटेक्नोलॉजी पार्क, लखनऊ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 8 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। 1860 के उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 21 के अंतर्गत बायोटेक पार्क को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। बायोटेक पार्क के भवन/प्रयोगशाला का निर्माण कार्य भारत सरकार के संगठन अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर द्वारा किया जा रहा है जिसके शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है। जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों, सुविधाओं और विशेषज्ञता के संबंध में उद्योगों को सूचना प्रदान करने के लिए विद्यमान संस्थानों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए आईटीआरसी में एक " जैवसूचनाप्रणाली केन्द्र " की स्थापना की गई है। अब यह बायोटेक पार्क के साइट कार्यालय से कार्य कर रहा है।

9.2 हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर केन्द्र (बीटीआईसी)

चूंकि बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर केन्द्र (बीटीआईसी) की स्थापना अपनी तरह का पहला कदम है, भावी उद्यमियों, तकनीशियनों, उद्योग, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्योग के विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों से विभिन्न विचारविमर्श किये गए है। बीटीआईसी के लिए लेआउट्स को अंतिम रूप देने और डिजाइन पैकेज की पुष्टि करने के लिए अभी तक लगभग 11 तकनीकी बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। निदेशक, आईआईसीटी और सचिव, डीबीटी से परामर्श के साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बीटीआईसी सोसाइटी बनाने के लिए मैमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स (एमओए) बनाया गया। बीटीआईसी के लिए संगठन प्रबंधन अवसंरचना, क्रियान्वयन प्रबंधन निश्चित करने, बी टी आई सी के कार्यान्वयन के लिए क्रियान्वयन की प्रगति पर निगरानी करने और मार्गनिर्देश देने, कार्यक्रम के लिए संसाधनों की पहचान और आबंटन करने के लिए डीबीटी, गोआ सरकार और सीएसआईआर/आईआईसीटी के साथ आपसी विचारविमर्श से बी टी आई सी के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम प्रबंध समिति (पीएमसी) का गठन किया गया है।